भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2622
दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के परिवारों को सहायता

†2622. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के शहीद कर्मियों के परिवारों को अपने बच्चों के पालन पोषण हेतु सहायता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने हाल ही के वर्षों में सीएपीएफ के शहीद कर्मियों के निकट संबंधियों के लिए सहायता में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कार्मिकों के परिवारों को, स्वीकार्य लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए, प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) ने अपने मुख्यालय के साथ-साथ यूनिट स्तर पर भी कल्याण अधिकारी नामित किये हुए हैं। ऐसे सीएपीएफ कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को दिये गए स्वीकार्य लाभों का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

****

<u>**अनुलग्नक**</u>

<u>**दिनांक 09.07.2019 का लोक सभा अता. प्र. सं. 2622**</u>

<u>**कर्तव्य पथ पर अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को दिये जाने वाले लाभ**</u>

(i) <u>**केंद्रीय अनुग्रह राशि**</u>सीएपीएफ औ :र असम राइफल्स के मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को केंद्रीय अनुग्रह राशि के रूप में दी जाने वाली एकमुश्त क्षतिपूर्ति की राशि, दिनांक 01.01.लाख रुपये 15 से बढ़ाकर सक्रिय ड्यूटी पर मृत्यु के लिए 2016 लाख रुपये 25 लाख रुपये से 10 लाख रुपये और ड्यूटी पर मृत्यु के 35 से, जैसा भी मामला हो, कर दी गई है।

(ii) <u>**असाधारण पेंशन:**</u> असाध) मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधी केंद्रीय सिविल सेवाारण पेंशननियमावली (, 1939 के तहत उदारीकृत पारिवारिक पेंशन अर्थात अंतिम) प्राप्त करने के पात्र हैं। (आहरित वेतन

(iii) <u>**सेवा संबंधी लाभ:**</u> सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी-सह-सभी सेवा संबंधी लाभ यथा मृत्यु (डीसीआरजी), छुट्टी नकदीकरण, केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस), सामान्य भविष्य निधि आदि स्वीकार्य हैं। (जीपीएफ)

(iv) <u>**बल स्तर की कल्याणकारी योजनाएं:**</u> प्रत्येक बल ने कर्मचारियोंजवानों के लिए बल / तैयार की हैं जैसे कि हितकारी निधि/स्तर की कल्याणकारी योजनाएं विकसित, शिक्षा हेतु बच्चों को वित्तीय सहायताबहन के विवाह आदि के /छात्रवृत्ति और पुत्री/

(v) <u>**'भारत के वीर' से निधि:**</u> 'भारत के वीर' एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां लोग अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सीएपीएफ कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को स्वेच्छा से दान दे सकते हैं। यह अंशदान सीधे निकटतम संबंधियों के खाते में ऑनलाइन जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 'भारत के वीर' कॉर्पस में प्राप्त निधियों को भी ऐसे कार्मिकों के निकटतम संबंधियों के बीच बांटा जाता है।

(vi) <u>**'ऑपरेशन कैजुअल्टी प्रमाणपत्र-':**</u> कार्रवाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सीएपीएफ कार्मिकों को सशस्त्र बलों को प्रदान किये जाने वाले 'बैटल कैजुअल्टी प्रमाणपत्र-' की तर्ज पर 'ऑपरेशन कैजुअल्टी प्रमाणपत्र-' मिलता है। सीएपीएफ कार्मिकों के निकटतम संबंधी रक्षा कार्मिकों के 'बैटल कैजुअल्टी प्रमाण पत्र' से नवाजे जाने पर उनके निकटतम संबंधियों की मिलने वाले लाभों की तर्ज पर कुछ लाभ यथा

हवाई और रेल यात्रा भाड़े में छूट और तेल उत्पाद एजेंसियों के आबंटन आदि के भी पात्र हैं।

(vii) **<u>प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना :(पीएमएसएस)</u>**पीएमएसएस के अंतर्गत, सेवारतभूतपूर्व / सीएपीएफ, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कार्मिकों के (एनएसजी) आश्रितों, बालिकाओं के लिए 2250/- रुपये प्रति माह और बालकों के लिए 2000/- रुपये प्रति माह की राशि जारी की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2019-से छात्रवृत्ति 2020 2000 की राशि बढ़ाकर बालकों के लिए/- रुपये से 2500/- रुपये प्रति माह और बालिकाओं के लिए 2250/- रुपये से 3000/- रुपये प्रति माह कर दी गई है।

(viii) **<u>राज्यों:संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुग्रह मुआवजे का प्रावधान/</u>** कई राज्योंसंघ राज्य / सहायता प्रदान /क्षेत्रों ने भी निकटतम संबंधियों को अपने नियमों के अनुसार मुआवजा करने का प्ावधान किया है।

******